

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

01/08/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री बीरसिंह सावैयाँ, पिता- स्व० गरदी सावैयाँ ग्राम- गितिलपी, थाना- मुफ्फसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलपी, थाना-580, खाता नं०-50, प्लॉट नं०-364, रकबा- 0.06<sup>3</sup>/<sub>4</sub> एकड़ भूमि क्रेता मंगल सिंह बोयपाई, पिता- मधुसुदन बोयपाई, ग्राम- पन्डावीर, थाना- मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम झारखण्ड के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक स्वयं के नाम नामान्तरण मुकदमा सं० 216(M)2011-12 द्वारा नामारित होकर है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-328, दिनांक 29.05.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नव-गृह निर्माण एवं घरेलु कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता मंगल सिंह बोयपाई, पिता- मधुसुदन बोयपाई, ग्राम- पन्डावीर, थाना- मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम के पास विक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफ्फसिल थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की विक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.20 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति पर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक श्री बीरसिंह सावैयाँ, पिता- स्व० गरदी सावैयाँ ग्राम- गितिलपी, थाना- मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम ने क्रेता श्री मंगल सिंह बोयपाई, पिता- मधुसुदन बोयपाई, ग्राम- पान्डावीर, थाना- मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम के पास 3,00,000.00 (तीन लाख) रूपये में मौजा- गितिलपी, थाना-580, खाता नं०-50, प्लॉट नं०-364, रकबा- 0.06<sup>3</sup>/<sub>4</sub> एकड़ भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा